न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 117/2017

बउनवान

हंसराज पुत्र मन्नावन जाति—गुसाई, निवासी—बालुन्दा
तहसील—मॉगरोल, जिला—बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय दिनांक 12.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 08.02.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बालून्दा, तहसील—मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म गै.मु.खाल पर अतिक्रमी मानकर 320/— रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की [illegible] दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि [illegible] न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपल[illegible] से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को [illegible] कोई अवसर नहीं दिया है ना हीं स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी है। [illegible] ने उक्त निर्णय हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। [illegible] का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। सरकारी तावान जमा करा दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.02.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण [illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ [illegible] अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक [illegible] सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी [illegible] कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान [illegible] जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.2.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 74/16 निर्णय दिनांक 18.2.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु खाल है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 74/16 [illegible] 18.02.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट [illegible] द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी गै.मु.खाल पर [illegible] होने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ [illegible] कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील [illegible] होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, [illegible] द्वारा प्रकरण संख्या 43/2017 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2017 को यथावत [illegible] जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12[illegible] [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official